Section 52 of the Motor Vehicle Act, alternation in the Motor Vehicles can be made by giving prior notice and taking approval of the Registering Authority within whose jurisdiction, the owner has residence or the place of business where the vehicle is normally kept

(b) to (d) Do not arise.

(e) No such data is avaiable.

**दिल्ली परिवहन निगम को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदम**

580. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम बसों के रख-रखाव एवं उनके संचालन की पूरी क्षमता क्या है तथा वर्ष 1993-94 में निगम के बेड़े में कितनी बसें थीं, अभी निगम के बेड़े में कितनी बसें है और उनमें से कितनी सड़कों पर चल रही है ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम का कुल घाटा कितना है, निगम के कुल परिचालन पर प्रति कि०मी० आमदनी एवं बसों के परिचालन में प्रति कि.मी. होने वाले नुकसान का ब्यौरा क्या है और रेड लाइन एवं दूसरी निजी बसों के मालिक साल के अंदर ही दूसरी बस के स्वामी बन जाते हैं; इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार निगम की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है और सरकार द्वारा यदि कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) दि.प.नि. की कुल क्षमता 3395 बसों का प्रचालन और रख-रखाव करने की है। वर्ष 1993-94 के दौरान दि०प०नि० के बेड़े में 3706 बसें थीं। फिलहाल दि.प.नि. के बेड़े में 3500 बसें हैं जिनमें से औसतन 2058 (अन्तर्राज्यीय रूटों सहित) बसें फरवरी, 95 के महीने के दौरान प्रतिदिन सड़कों पर चलीं।

(ख) 31 मार्च, 1994 तक दि०प०नि० का कुल संचित घाटा 1376.45 करोड़ रु० था। दि० प० नि० की प्रचालन आय (प्रति कि०मी०) 5.69 रु है जबकि इसका प्रचालन घाटा (प्रति कि.मी.) 4.27 रु0 है। सरकार के पास रेड लाइन बसों के मालिकों के व्यय और आय के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने दि०प०नि० के घटिया कार्य स्तर को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) 21-6-1994 से दि०प०नि० के किराए ढांचे में वृद्धि,

(2) दि.प.नि. के फालतू स्टाफ को कम करने के लिए निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करना।

(3) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार दि.प.नि. पर सरकार के बकाया प्रतिदेय ऋणों और उस पर लगे ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करना।

(4) जनशक्ति अनुपात में कमी।

(5) घाटे वाले रूटों से दि०प०नि० की बसों को हटाना।

**Creation of Maritime Board in Tamil Nadu**

581. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state.

(a) what action has been taken by Government regarding consent to the proposal of the Tamil Nadu Government for the creation of Maritime Board in Tamil Nadu; and